विधिक सेवाएँ क्या हैं ?

- समस्त न्यायालयों/प्राधिकरणों/अधिकरणों/आयोगों के समक्ष विचाराधीन मामलों में विधिक सेवायें उपलब्ध करायी जाती है।
- गरीब तथा आम व्यक्तियों के लिये न्यायशुल्क सहित वकील की फीस एवं अन्य सभी आवश्यक वाद व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाते हैं।
- विधिक अधिकारों एवं सेवाओं की जागरूकता के लिए विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- परामर्श एवं सुलह समझौता केन्द्रों में सन्धिकर्ता दल द्वारा पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त कराये जाने के सतत प्रयास किये जाते हैं।
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों में पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र मुआवजा दिलाये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जाते हैं।
- गुमशुदा बच्चों एवं व्यक्तियों के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाने हेतु निःशुल्क वकील की सेवाएं तथा दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर गुमशुदा बच्चों का विवरण प्रसारित कराने हेतु भी जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की मदद ले सकते हैं।
- अन्य सभी प्रकार के वादों में सुलह समझौते द्वारा शीघ्र न्याय दिलाया जाता है।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र कौन है ?

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य,
- अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार करायी जाती है,
- महिलाए एवं बच्चे,
- मानसिक रोगी एवं विकलांग,
- अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताये हुए व्यक्ति या, शहीद सैनिकों के आश्रित,
- औद्योगिक श्रमिक,
- कारागृह, किशोर, मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति या ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है।

लोक अदालतें क्या हैं ?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाये जा सकते हैं।
- लोक अदालतों के फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है जिसे कोर्ट की डिक्री की तरह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप में बाध्य होते हुए लागू कराया जाता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटा दी जाती है।
- प्रदेश के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा चुकी है। और वादकारियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिये उस अदालत में प्रार्थनापत्र देने का अधिकार प्राप्त है।
- अभी जो विवाद न्यायालय के समक्ष नहीं आये है उन्हें भी प्री-लिटीगेशन स्तर पर बिना मुकदमा दायर किये ही पक्षकारों की सहमति से प्रार्थना देकर लोक अदालत में फैसला कराया जाता है।
- अधिक जानकारी के लिये लिखें या मिले
- उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सचिव (संयुक्त निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद), उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप समिति, उच्च न्यायालय पीठ, लखनऊ के सचिव (संयुक्त निबन्धक, उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ), सभी जनपदों के दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों (जिला जजों) अथवा सचिव तथा प्रदेश की समस्त तहसीलों में कार्यरत तहसील विधिक सेवा समितियों के सचिवों (तहसीलदार) से या उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से सम्पर्क करें।

उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

तृतीय तल, जवाहर भवन, एनेक्सी, लखनऊ, फोन : (0522) 2287972

हेल्पलाइन : टोल फ्री नं० 1800-419-0234

सरल कानूनी ज्ञान माला–9

राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन

मोटर दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर

उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

तृतीय तल, जवाहर भवन, एनेक्सी, लखनऊ

2010

उ0 प्र0 राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

ज्ञान माला संख्या	विषय
01	विधिक सेवा कार्यक्रम
02	(1) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
	(2) कुटी बीमा योजना
	(3) विकलांग व्यक्तियों के लिये अनुदान योजना
03	(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पी एवं छुआछूत निवारण) अधिनियम, 1989
	(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लि बनायी गयी राजकीय योजनाएं
04	प्रथम सूचना रिपोर्ट, गिरफ्तारी और जमानत के सम्बन्ध नागरिकों के अधिकार और कर्त्तव्य।
05	किशोर अपराध और न्याय व्यवस्था
06	भरण–पोषण विधि
07	दहेज और कानून
08	विवाह और कानून
09	मोटर दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर
10	(1) वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारि लाभ योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
	(2) निराश्रित विधवाओं के लिये अनुदान योजना।
11	उपभोक्ता संरक्षण एवं कानून
12	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया।
13	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम।
14	फौजदारी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तार

मोटर दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर

भूमिका :–

भारत में अन्य देशों की अपेक्षा सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कहीं अधिक है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो, जब समाचार पत्रों में देश के किसी न किसी भाग में भीषण दुर्घटना के परिणामस्वरूप कई व्यक्तियों के मरने एवं गम्भीर रूप से घायल होने के समाचार न प्रकाशित होते हों। स्थिति यह है इस देश में प्रत्येक 10 मिनट में मोटर दुर्घटना के कारण किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। मोटर दुर्घटना में केवल दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ही प्रभावित नही होता बल्कि उसके पूरे परिवार के लिये अपूर्णनीय क्षति होती है। वास्तव में पूरे समाज के हित में पीड़ित परिवारों को हुई क्षति के लिये शीघ्र और उपयुक्त प्रतिकर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

मोटर दुर्घटनाओं के कारण :–

मोटर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सम्बन्धित व्यक्तियों और विशेषकर वाहन चालक की गलती तथा असावधानी होती है। वाहन चालक के पास अपेक्षित अनुभव व योग्यता का न होना, उसका सतर्क और सावधान न होना, नशे या नींद में होना या बिना विश्राम किये लगातार लम्बी अवधि तक वाहन चलाना आदि मोटर दुर्घटना के महत्वपूर्ण कारण हैं। निर्धारित गति से कहीं अधिक तेजी से तथा लापरवाही से वाहन चलाना तथा निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां बैठाना या भार ले जाना भी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। कभी–कभी पीड़ित व्यक्ति की स्वयं की लापरवाही, वाहनों में तकनीकी खराबी, सडकों की खराब दशा, यातायात संकेतों का अभाव आदि भी दुर्घटना के कारण बन जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में मोटर दुर्घटना की रोकथाम के उद्देश्य से कई उपयोगी प्राविधान किये गये हैं और यदि इन प्राविधानों का अनुपालन ठीक ढ़ंग से किया जाय तो अवश्य ही काफी हद तक मोटर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लायी जा सकती है।

मोटर दुर्घटना क्या ?

कोई भी वाहन जो किसी मशीनी (Mechanical) शक्ति से चलाया जाय

और उसे सड़क पर चलाये जाने के योग्य बना लिया जाय, चाहे वह शक्ति किसी बाहरी स्रोत से ले जाय या वह शक्ति वाहन के अन्तर्गत ही किसी स्रोत से ली जाय मोटर वाहन कहलाता है। इस प्रकार बस, ट्रक, सड़क कूटने वाला रोलर, कार, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल, मोपेड आदि मोटर वाहन की श्रेणी में आते हैं और इन वाहनों द्वारा सडक पर चलते हुए अथवा खड़े किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा अन्य किसी वाहन में सीधे या अन्य किसी प्रकार से टक्कर हो जाती है तो उसे मोटर दुर्घटना कहा जाता है।

प्रतिकर प्राप्ति का अधिकार :–

प्रत्येक दुर्घटना से जब किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो विधि के अनुसार उसे क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस प्रकार मोटर दुर्घटना सम्बन्धी सभी मामलों में पीड़ित व्यक्ति अथवा पीडित परिवार मोटर वाहन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रतिकर भुगतान का उत्तरदायित्व :–

दुर्घटना में हुई क्षति के लिये प्रतिकर के भुगतान का प्राथमिक दायित्व दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी अथवा चालक का होता है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अन्तर्गत परपक्ष (Third Party) बीमा पालिसी प्राप्त करना अनिवार्य है और यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा परपक्ष बीमा पालिसी प्राप्त किये बिना मोटर वाहन सार्वजनिक सड़क पर चलाया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 196 के अन्तर्गत दण्डनीय है। वाहन का परपक्ष बीमा होने की दशा मे प्रतिकर के भुगतान का दायित्व बीमा पालिसी की शर्तों के अनुसार वाहन स्वामी के बजाय सम्बन्धित बीमा कम्पनी का हो जाता है। शासकीय वाहनों उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वाहनों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के वाहनों के सम्बन्ध में कुछ शर्तों के अधीन अनिवार्य परपक्ष बीमा पालिसी की शर्त से छूट मिल सकती है और इसी प्राविधान के अन्तर्गत शासकीय वाहनों और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की गाड़ियों से हुई दुर्घटनाओं से सम्बन्धित देय प्रतिकर के भुगतान का दायित्व शासन और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का ही होता है।

यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण मालूम न हो :–

कुछ ऐसे मोटर वाहन भी होते हैं जिनके चालक दुर्घटना के पश्चात् वाहन को तुरन्त भगा ले जाते हैं और यह पता नहीं चल पाता है कि दुर्घटना किस वाहन से हुई और परिणामस्वरूप वाहन स्वामी और बीमा पॉलिसी के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी दुर्घटना के लिये भारत सरकार द्वारा तोषण निधि योजना, 1989 (Solatium Scheme. 1989) बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में मृतक के आश्रितों को रू0 25,000/– और गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को रू0 12,500/– प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति/मृतक के आश्रितों द्वारा दुर्घटना के छः माह के भीतर निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–1) पर प्रार्थना–पत्र अधिकृत जांच अधिकारी (उप जिला अधिकारी) के समक्ष प्रस्तुत किये अपनी संस्तुति जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करके क्लेम सेटेलमेन्ट कमिश्नर (जिलाधिकारी) द्वारा नियमानुसार प्रतिकर धनराशि दिलाये जाने के लिये आवश्यक आदेश दिये जाते हैं और इस धनराशि के भुगतान का दायित्व उस बीमा कम्पनी का होता है जो इस दायित्व के निर्वहन के लिये भारत सरकार द्वारा नामित (Nominated) की गयी हो। इस दायित्व के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में ओरियन्टल बीमा कम्पनी (Oriental Insurance Company) नामित की गयी है।

यदि दुर्घटना करने वाले व्यक्ति का विवरण ज्ञात हो :–

यदि दुर्घटना करने वाले व्यक्ति का विवरण ज्ञात हो या हो सके तो ऐसी स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत गठित सम्बन्धित मोटर दुर्घटना क्लेम्स ट्रिब्युनल के समक्ष मोटर वाहन स्वामी, वाहन चालक और सम्बन्धित बीमा कम्पनी के विरूद्ध प्रतिकर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा वाद केवल रू0 10/– की कोर्ट फीस टिकट लगाकर निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–2) पर प्रस्तुत किया जा सकता हैं। वह वाद जिस जनपद में दुर्घटना हुई हो उस जनपद में गठित अधिकरण या उस जनपद में जहां वाद प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति रहता है अथवा व्यवसाय करता हो, प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रतिकर वाद ऐसे जनपदों में भी किया जा

सकता है जिसकी सीमा में दूसरा पक्ष (वाहन स्वामी) निवास करता हो। मोटर यान अधिनियम में वर्ष 1994 में हुये संशोधन के अनुसार प्रतिकर वाद को सम्बन्धित प्रतिकर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। परन्तु स्वयं पीड़ित व्यक्ति और परिवार के हित में है कि दुर्घटना के शीघ्र बाद ही प्रतिकर वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

प्रतिकर वाद में प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख एवं विवरण :-

प्रतिकर वाद को सफलतापूर्वक सिद्ध करने के लिये यह आवश्यक है कि निम्नलिखित अभिलेखों एवं विवरण को प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाये:-

1. प्रार्थीगण का नाम, पिता का नाम, पूरा पता, उम्र और व्यवसाय।
2. दुर्घटना कारित करने वाले वाहन स्वामी व चालक का नाम व पता।
3. दुर्घटना कारित करने वाले वाहन जिस बीमा कम्पनी से बीमाकृत हो, उसका नाम पता तथा बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि।
4. दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की फोटो प्रतिलिपि।
5. दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की फोटो प्रतिलिपि।
6. दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान।
7. प्रत्येक प्रार्थीगण का मृतक से सम्बन्ध (यदि दुर्घटना में मृत्यु हुई हो)
8. मृतक की आयु, आय तथा आश्रितों के नाम, पते एवं मृतक से सम्बन्ध।
9. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की चोटों की प्रकृति एवं इंजरी रिपोर्ट (Injury Report) एवं मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटो प्रतिलिपि।
10. मांगी गयी प्रतिकर की धनराशि और उसके लिये उपयुक्त आधार।

अभिलेखों की प्राप्ति में कठिनाई :-

सामान्य तौर पर पीड़ित व्यक्ति/परिवारों को आवश्यक अभिलेख और विवरण प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है और इस कठिनाई के कारण ही प्रतिकर वाद प्रस्तुत करने और सफलतापूर्वक सिद्ध करने में विलम्ब होता है। यह

कठिनाई विशेष तौर पर इस कारण होती है कि वाहन स्वामी इस सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग नहीं देता और वादी द्वारा इन अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए काफी भटकना पड़ता है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 158 (6) के अन्तर्गत जिस पुलिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत दुर्घटना हुई हो उस थाने की पुलिस को यह कानूनी अधिकार दिया गया है कि इस संदर्भ में दुर्घटना करने वाले वाहन से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख और विवरण वाहन के चालक और स्वामी से प्राप्त करें। इस प्राविधान के अन्तर्गत पुलिस का यह दायित्व है कि दुर्घटना से सम्बन्धित आवश्यक रिपोर्ट सम्बन्धित प्रतिकर अधिकरण को प्रस्तुत करें और सम्बन्धित वादी अथवा बीमा कम्पनी को अनुरोध और निर्धारित फीस के जमा करने पर वाहन से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख एवं विवरण उन्हें उपलब्ध करायें।

यह भी उल्लेखनीय है कि वादकारियों के हित में उच्च न्यायालय द्वारा सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों को यह कड़े निर्देश दिये गये हैं कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को उन्मोचित (Release) करने से पूर्व वाहन से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, बीमा पॉलिसी, चालक का ड्राइविंग लाइसेन्स आदि आवश्यक कागजात की प्रतियां प्राप्त करें। ताकि सम्बन्धित व्यक्तियों को इन अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करायी जा सकें। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से भी इस विषय में आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सकती है।

गलती न होने की दशा में प्रतिकर :-

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के अनुसार यदि दुर्घटना करने वाले मोटर वाहन द्वारा कोई गलती न भी की गयी हो फिर भी मृत्यु कारित किये जाने की दशा में मृतक के आश्रितों को रू0 50,000 तथा स्थायी निःशक्तता पहुंचाये जाने की दशा में पीड़ित व्यक्ति को रू0 25,000 प्रतिकर के रूप में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रदान करने हेतु आदेश किये जा सकते हैं।

प्रतिकर धनराशि :-

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163-क में यह विशेष प्राविधान किया गया है कि दावाकर्ता को अपनी याचिका में यह प्रमाणित करने की कोई

आवश्यकता नही है कि मोटर दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक की कोई गलती थी अथवा नहीं और इस प्राविधान में यह मानकर प्रतिकर की राशि निश्चित की गयी है कि दुर्घटना में दूसरे पक्ष की ही गलती थी। इस तालिका मे प्रतिकर की राशि मृत व्यक्ति की आयु तथा आय को ध्यान में रखते हुए निश्चित की गयी है और इसके लिये सुविधा की दृष्टि से एक तालिका (संलग्नक–3) में विभिन्न आयु के व्यक्तियों की मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर देय प्रतिकर की धनराशि दर्शायी गयी है जिसके अनुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है। प्रतिकर से सम्बन्धित सामान्य प्राविधान उक्त अधिनियम की धारा 168 में किया गया है।

गुणांक पद्धति के आधार पर प्रतिकर का निर्धारण :–

विभिन्न परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुणांक पद्धति (5 से 18 तक) निर्धारित की गयी है जिसमें मृतक की आयु उस पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या तथा मृतक के भविष्य की प्रगति के अवसर को भी ध्यान में रखकर प्रतिकर निर्धारित किया जाता है प्रतिकर प्राप्त करने वाले को यह विकल्प प्राप्त होता है कि वह धारा 163–ए के अन्तर्गत तालिका में अंकित प्रतिकर की धनराशि हेतु अनुरोध करें विभिन्न परिस्थिति में दुर्घटना करने वाले की गलती को प्रमाणित करते हुए प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने हेतु अनुरोध करें।

प्रतिकर वाद में निर्णय के विरूद्ध अपील करने के लिए समय सीमा :–

दावा अधिकरण के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की 90 दिन की अवधि निर्धारित है और प्रमाणित व कारण दिखाने पर निर्धारित समय के बाद भी उच्च न्यायालय की अनुमति से अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशित प्रतिकर कैसे प्राप्त करें :–

क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशित प्रतिकर की धनराशि यदि सम्बन्धित पक्षकार द्वारा निर्धारित अवधि में प्रदान नहीं की जाती है तो परिवादी द्वारा सम्बन्धित ट्रिब्यूनल में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर सम्बन्धित ट्रिब्यूनल प्रतिकर की धनराशि भू–राजस्व के बकाया की भाति वसूली करने हेतु कलेक्टर को आदेश जारी करता है।

निःशुल्क विधिक सेवायें :–

मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद दायर करने हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है। प्रत्येक जिले के दीवानी न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गयी है तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव सिविल जज (सी0डी0) से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक तहसील में तहसील विधिक सेवा समिति कार्यरत है जिसका सचिव उस तहसील का तहसीलदार होता है। उससे भी उस विषय में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। अगर मोटर दुर्घटना प्रतिकर से सम्बन्धित कोई अपील उच्च न्यायालय में लम्बित है तो यथास्थिति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद अथवा इसकी उप समिति, लखनऊ के सचिव से सम्पर्क किया जा सकता है।

लोक अदालतों का उपयोगी फोरम :–

पिछले दस वर्षो से अधिक समय से प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारण कराया जा रहा है। उच्च न्यायालय के समक्ष मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों से सम्बन्धित लम्बित अपीलों का भी निस्तारण लोक अदालतों के माध्यम से कराया जाता है। यह सर्वविदित है कि जो मामले लोक अदालतों के माध्यम से तय हो जाते हैं उनमें अपील, रिवीजन या इजराय की कार्यवाहियों से बचत होती हैं और वादकारियों को शीघ्र और कम खर्च पर प्रतिकर की धनराशि मिल जाती है। यह व्यवस्था स्वय वादकारियों के हित में है कि वे लोक अदालतों के आयोजन से लाभ उठायें। यदि कोई व्यक्ति प्रतिकर से सम्बन्धित अपना वाद/अपील लोक अदालत के माध्यम से तय कराना चाहता है तो इस आशय की सूचना वाद/अपील जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव को देते हुए अनुरोध कर सकता है ताकि उस मामले को आगामी आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में समझौता वार्ता के लिए रखा जा सके।

संलग्नक –1

तोषण–निधि से प्रतिकर के लिये आवेदन का प्रारूप

मैं.. पुत्र / पुत्री / विधवा.................. .... की .... निवासी ....मोटर यान दुर्घटना में घोर उपहति (गंभीर चोटों) से ग्रस्त होने पर एतद्द्वारा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के लिए प्रतिकर की स्वीकृति हेतु आवेदन करता हूँ / करती हूँ। मेरे द्वारा धारित क्षतियों (फोटों) के बारे में आवश्यक विवरण निम्नांकित है

मैं...पुत्र / पुत्री / विधवा श्री.. निवासी.................................. ....एतद्द्वारा श्री / श्रीमती / कुमारी.................................. पुत्र / पुत्री / विधवा.. श्री.................................. की मृत्यु / क्षतिग्रस्त होने के कारण जो दिनाक.......................... को.............. (स्थान)......................... पर मोटरयान दुर्घटना में मर गये / क्षतिग्रस्त हुए उनके विधिक प्रतिनिधि / एजेन्ट के रूप में प्रतिकर की स्वीकृति के लिए आवेदन करता / करती हूँ।

दुर्घटना के बारे में विवरण और अन्य सूचनाएं निम्नांकित :-

1. क्षतिग्रस्त (घायल) व्यक्ति का नाम, पिता का नाम (विवाहित महिला या विधवा के मामले में पति का नाम)
2. क्षतिग्रस्त / मृतक व्यक्ति का पिता
3. आयु / जन्म दिनांक
4. क्षतिग्रस्त / मृतक व्यक्ति का लिंग
5. दुर्घटना का स्थान, दिनांक और समय
6. क्षतिग्रस्त / मृतक व्यक्ति का व्यवसाय (धन्धा)
7. चोटों का स्वरूप, जो लगी'
8. पुलिस थाने का नाम व पता, जिसकी अधिकारिता क्षेत्र में दुर्घटना हुई या पंजीकृत हुई ....
9. चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सक जिसने क्षतिग्रस्त / मृतक का उपचार किया उसका नाम व पता..
10. दावेदार / दावेदारों के नाम व पते
11. दावे के निपटारे में आवश्यक या सहायक समझी जाने वाली अन्य कोई सुचना।

मैं एतद्द्वारा सशपथ यह प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य मेरे श्रेष्ठतम संज्ञान और विश्वास के अनुरूप सत्य (सही) हैं। जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर दावेदार

संलग्नक –2

प्रतिकर के लिए प्रार्थना पत्र

सेवा में,
(मोटर दुर्घटना अभ्यर्थना न्यायाधिकरण)

मैं.. आत्मज / आत्मजा / पत्नी / विधवा ....निवासी... .... जिसे मोटर गाड़ी में चोट पहुंची है एतद्द्वारा ऐसी चोट के लिये प्रतिकर दिये जाने के निमित्त प्रार्थना–पत्र देता / देती हूँ। उपर्युक्त चोट गाड़ी आदि के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैं।

मैं.. आत्मज / आत्मजा / पत्नी / विधवा निवासी.. एतद्द्वारा श्री / कुमारी / श्रीमती ....आत्मज / आत्मजा / पत्नी / श्रीमती.. की मृत्यु होने / चोट पहुँचने के कारण, जिसकी मोटरगाडी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी / चोट पहुँची थी, प्रतिकर दिये जाने के लिए विधिक प्रतिनिधि / प्रति / अभिकर्ता के रूप में प्रार्थना–पत्र देता / देती हूँ।

1. चोट पहुँचे हुए / मृत व्यक्ति का नाम व उसके पिता का नाम (विवाहित स्त्री और विधवा की दशा में उसके पति का नाम) ....
2. चोट पहुँचे हुए / मृत व्यक्ति का पूरा पता..............................
3. चोट पहुँचे हुए / मृत व्यक्ति की आयु ....
4. चोट पहुँचे हुए / मृत व्यक्ति का व्यवसाय..............................
5. मृत व्यक्ति के सेवायोजक का नाम और पता यदि कोई हो ....
6. चोट पहुँचे हुए / मृत व्यक्ति की मासिक आय..............................
7. चोट पहुँचे हुए / मृत व्यक्ति के प्रत्येक आश्रित का नाम और उसकी आयु, उससे उसका सम्बन्ध और मृत / चोट पहुँचे हुए व्यक्ति की मासिक औसत आय और ऐसी आय का स्रोत ....
8. क्या वह व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में प्रतिकर की अभ्यर्थना की गयी है आयकर देता है, यदि हां तो आयकर की धनराशि का उल्लेख कीजिए (जो लेख साक्ष्य द्वारा समर्थित है)...

संलग्नक –3/2

2– प्रतिकर की राशि रू0 50,000 से कम नहीं होगी–

3– सामान्य नुकसानी (General Damage) (मृत्यु के मामले में)–

(1) अन्तिम संस्कार व्यय	रू0 2,000/–
(2) साहचर्य की हानि के लिए प्रापक पति या पत्नी हो	रू0 5,000/–
(3) सम्पदा की हानि (Loss of Estate)	रू0 2,500/–
(4) चिकित्सा व्यय–वास्तविक व्यय, जो मृत्यु के पहले किया गया, जो बिलों/बाउचरों से समर्थित होगा, परन्तु	रू0 15,000/– से अधिक नहीं

4– सामान्य नुकसानी–क्षतियों और निःशक्तताओं के मामले में :–

(1) पीड़ा व कष्ट के लिए

(क) घोर उपहति (गम्भीर चोटें)	रू0 5,000/–
(ख) अनघोर उपहति	रू0 1000/–
(2) चिकित्सा व्यय वास्तविक व्यय, जो किया बिलों/बाउचरों से समर्थित होगा परन्तु एक समय पर भुगतान के रूप में	रू0 15,000/– से अधिक नहीं

5– अन–घातक दुर्घटनाओं में निःशक्तता :–

अन–घातक दुर्घटनाओं से उत्पन्न निःशक्तता के मामले में निम्नलिखित प्रतिकर संदेय होगा–

आय की हानि, यदि हो तो, निःशक्तता की वास्तविक अवधि के लिए, जो बावन (52) सप्ताह से अधिक नहीं होगी, तथा निम्नलिखित में कोई :–

(क) स्थाई पूर्ण आंशिक निःशक्तता के मामले में, संदेय राशि वार्षिक आय की हानि से उस गुणक से गुणा कर निकाली जायेगी जो (गुणक) प्रतिकर निर्धारण के दिनांक पर आयु को लागू होता है।

(ख) स्थायी आंशिक निःशक्तता के मामले में प्रतिकर का ऐसा प्रतिशत जो उपरोक्त (क) के अधीन बताये अनुसार स्थायी पूर्ण निःशक्तता के मामले में संदेय होता। क्षतियाँ, जो पूर्ण निःशक्तता/स्थायी आंशिक निःशक्तता में परिणित हुई समझी जावेगी और उपार्जन–क्षमता (Earning Capacity) की हानि का प्रतिशत कर्मकार, अधिनियम, 1923 के अधीन अनुसूची–1 के अनुसार होगा।

6– प्रतिकर के लिए प्रकल्पित–आय (National Income), जिनकी दुर्घटना के पहले कोई आय नहीं थी। :–

घातक और अन–घातक दुर्घटनाओं में निःशक्तता :–

(क) उपार्जन (कमाई) न करने वाले व्यक्ति	रू0 15,000/–
(ख) पति या पत्नी–उत्तरजीवी पति या पत्नी की	वार्षिक

आय का एक तिहाई केवल अन्य क्षतियों के मामले में 'सामान्य नुकसानी' जैसी लागू होती हैं।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिये प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उप समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील –

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा..............निवासी..............विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ :–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रू0 एक लाख तक है (आय प्रमाण–पत्र संलग्न
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति,
   - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ,
   - (ग) स्त्री या बालक,
   - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ,
   - (ड़) बहु विनाश जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, भूकम्प, या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति,
   - (च) औद्योगिक कर्मकार,
   - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित,
   - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)।
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवाद आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिये पूर्व में कोई प्रार्थना–पत्र दिया था यदि हां तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   - (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें,
   - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि,
   - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि,
   - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि,
   - (5) केवल विधिक परामर्श।

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊंगा/छुपाऊंगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

नाम –

पता –